Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17 / 598

मोत्या बाई पुत्री स्व0 आनन्दा जी पत्नी रामनाथ जी जाति मेघवाल निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा । —अपीलार्थी

बनाम

1. रेवडी लाल आत्मज स्व0 कालू जाति मेघवाल निवासी देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 19 / दावा / 2007

मोत्या बाई पुत्री स्व0 आनन्दा जी पत्नी रामनाथ जी जाति मेघवाल निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा । —वादी

बनाम

1. रेवडी लाल आत्मज स्व0 कालू जाति मेघवाल निवासी देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 23.04.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बलराम शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 निरस्त किया जाता है । वादिनी अपीलान्ट का वाद डिक्री किया जाता है । ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 483 की 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 484 की 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 503 की 0.10 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 504 की 4.60 हैक्टर कुल 04 किता की 4.87 हैक्टर भूमि का वादिनी अपीलान्ट को खातेदार घोषित किया जाता है राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जाती है । प्रतिवादी क्रम 1 को उक्त भूमि से बेदखल किया जाकर वादिनी को उक्त भूमि पर कब्जा दिलाये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की जाती है तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादिनी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करे अन्य किसी तरह से बाधा उत्पन्न नहीं करे ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 23.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 17/598

मोत्या बाई पुत्री स्व0 आनन्दा जी पत्नी रामनाथ जी जाति मेघवाल निवासी सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा । —अपीलान्ट

बनाम

1. रेवडी लाल आत्मज स्व0 कालू जाति मेघवाल निवासी देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा । —रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

दिनांक: 23.04.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 एवं 183 के अन्तर्गत ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1412/67 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1413/67 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा कुल 02 किता की 29 बीघा 07 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 347 दिनांक 22.12.2001 ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद को निरस्त फरमया जाकर वादग्रस्त आराजी जिसके हाल खसरा नम्बर 483 की 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 484 की 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 503 की 0.10 हैक्टर व खसरा नम्बर 504 की 4.60 हैक्टर कुल 04 किता की 4.87 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे । वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे तथा उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करे एवं वादिनी को शान्तिपूर्वक काश्त करने दे ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.10.2017 के द्वारा दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना निष्कर्ष पारित करते हुए वादिनी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.10.2017 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है और कानूनन पुश्तैनी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती । वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत को प्रमाणित नहीं किया गया और न वसीयत के बाबत् कोई साक्ष्य पेश की गई है इस कारण वादिनी की माता गेंदी द्वारा तथाकथित रूप से की गई वसीयत प्रभावशून्य हो जाती है । इस आधार पर विवादित भूमि जो प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज की गई है वह गलत है और उक्त भूमि को प्रतिवादी क्रम 1 के खाते से हटाये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था । वादिनी अपीलान्ट आनन्दा की पुत्री है और धन्नी की पुत्री नहीं है बल्कि धन्ना की बहिन है । वादिनी अपीलान्ट मोत्या बाई गेंदी बाई की पुत्री है और गेंदी बाई की मृत्यु के बाद वादिनी ही उक्त भूमि को प्राप्त करने की प्रथम उत्तराधिकारिणी है । प्रस्तुत प्रकरण में मु0 गेंदी की मृत्यु उपरानत प्रतिवादी क्रम 1 ने वसीयत के आधार पर तीन वर्ष बाद इंतकाल हेतु आवेदन किया जिस पर आईएलआर द्वारा रिपोर्ट की गई कि 'मुताबिक वसीयत के रेवडीलाल कालूलाल का पुत्र है न कि आनन्द चमार का ऐसी स्थिति में क्या मृतक खातेदार गेंदी बेवा आनन्दा से कोई पुत्र, पुत्री पैदा हुई है और कोई केस चल रहा है । इस सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश हुई जिसमें अंकित किया गया कि खातेदार गेंदी बाई आनन्दा की पत्नी थी जिससे मोत्या बाई पुत्री व धन्ना पुत्र पैदा हुआ धन्ना लाऔलाद फौत हो गया धन्ना की बेवा अन्य जगह नाते चली गयी । मोत्या बाई जीवित है । आनन्दा की मृत्यु के बाद गेंदी बाई कालूलाल के नाते चली गई व रेवडीलाल कालूलाल से पैदा हुआ तथा भूमि गेंदी की न होकर आनन्दा से प्राप्त हुई है । इस प्रकार उक्त भूमि वादिनी के पिता की व वादिनी की पुश्तैनी भूमि है जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती । इंतकाल के समय वादिनी को सूचना दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही इंतकाल प्रतिवादी क्रम 1 के नाम तस्दीक कर दिया जो स्वतः ही गलत है । वादिनी अपीलान्ट की माता गेंदी बाई ने दिनांक 15.07.1992 को अथवा अन्य किसी दिनांक को किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई वसीयत आलेखित नहीं की । प्रतिवादी क्रम 1 ने इंतकाल के समय अथवा जवाब दावा के बाद साक्ष्य से वसीयत को प्रमाणित नहीं किया और न गवाह आदि पेश किये जबकि वादिनी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भूमि पुश्तैनरी है और उसकी वसीयत नहीं की जा सकती । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.10.2017 निरस्त फरमाया जावे वादग्रस्त आराजी का वादी अपीलान्ट को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते से हटायी

कर उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी नषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह अपीलान्ट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

7. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है और कानूनन पुश्तैनी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती । वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत को प्रमाणित नहीं किया गया और न वसीयत के बाबत् कोई साक्ष्य पेश की गई है इस कारण वादिनी की माता गेंदी द्वारा तथाकथित रूप से की गई वसीयत प्रभावशून्य हो जाती है । इस आधार पर विवादित भूमि जो प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज की गई है वह गलत है और उक्त भूमि को प्रतिवादी क्रम 1 के खाते से हटाये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था । वादिनी अपीलान्ट आनन्दा की पुत्री है और धन्नी की पुत्री नहीं है बल्कि धन्ना की बहिन है । वादिनी अपीलान्ट मोत्या बाई गेंदी बाई की पुत्री है और गेंदी बाई की मृत्यु के बाद वादिनी ही उक्त भूमि को प्राप्त करने की प्रथम उत्तराधिकारिणी है ।

8. प्रस्तुत प्रकरण में मु0 गेंदी की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी क्रम 1 ने वसीयत के आधार पर तीन वर्ष बाद इंतकाल हेतु आवेदन किया जिस पर आईएलआर द्वारा रिपोर्ट की गई कि 'मुताबिक वसीयत के रेवडीलाल कालूलाल का पुत्र है न कि आनन्द चमार का ऐसी स्थिति में क्या मृतक खातेदार गेंदी बेवा आनन्दा से कोई पुत्र, पुत्री पैदा हुई है और कोई केस चल रहा है । इस सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश हुई जिसमें अंकित किया गया कि खातेदार गेंदी बाई आनन्दा की पत्नी थी जिससे मोत्या बाई पुत्री व धन्ना पुत्र पैदा हुआ धन्ना लाऔलाद फौत हो गया धन्ना की बेवा अन्य जगह नाते चली गयी । मोत्या बाई जीवित है । आनन्दा की मृत्यु के बाद गेंदी बाई कालूलाल के नाते चली गई व रेवडीलाल कालूलाल से पैदा हुआ तथा भूमि गेंदी की न होकर आनन्दा से प्राप्त हुई है । इस प्रकार उक्त भूमि वादिनी के पिता की व वादिनी की पुश्तैनी भूमि है जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती । प्रतिवादी क्रम 1 ने इंतकाल के समय अथवा जवाब दावा के बाद साक्ष्य से वसीयत को प्रमाणित नहीं किया और न गवाह आदि पेश किये जबकि वादिनी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भूमि पुश्तैनी है और उसकी वसीयत नहीं की जा सकती । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

9. प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा वसीयतनामा प्रदर्श– डी– 1 को साबित करने के लिये दो गवाहान डी.डब्ल्यू. – 2 किशन गोपाल, डीडब्ल्यू– 3 रामदयाल ने अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा साक्ष्य हेतु न्यायालय में जो शपथ पत्र पेश किया है उसमें ए टू बी हिस्से में क्या लिखा है उसे पता नहीं है । गेन्दी बाई अनपढ, अशिक्षित महिला थी वसीयत नामे पर गेन्दी बाई के हस्ताक्षर नहीं हैं । गवाह डीडल्यू 2 ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि गेन्दी बाई ने मेरे सामने वसीयतनामे पर हस्ताक्षर किये थे । वास्तविकता यह है कि वसयीतनामे पर गेन्दी बाई के हस्तक्षर नहीं है । इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा कानूनन वसीयत को प्रदर्श नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 01 का निर्णय वादिनी अपीलान्ट के पक्ष में कर भूमि को पुश्तैनी होना माना है जिसकी कानूनन वसयीत नहीं की जा सकती । जिसकी डीएनजे 2012 (एससी) (1) पेज 62 के न्यायिक दृष्टांत से पुष्टि होती है । शून्य दस्तावेज को निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं होती । यह स्वीकृत तथ्य है कि वादिनी अपीलान्ट नन्दा जी व गेन्दीबाई की एक मात्र जायन्दा पुत्री है । प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में निष्पादित की गई वसयीत को गवाह साक्ष्य से साबित नहीं करने के कारण उसको कोई हक – हकूक प्राप्त नहीं होते हैं । वसीयतनामा पंजीकृत होने के बावजूद भी उसे गवाह सबूत से साबित किया जाना आवश्यक है । जिसकी एआईआर

04 (एससी) पेज 436 से पुष्टि होती है । उक्त नजीर के अनुसार पंजीकृत नामे को भी साबित करवाना आवश्यक है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 5, 6 व 7 का निर्णय वादिनी अपीलान्ट के विरूद्ध पारित करने में त्रुटि की है । वादिनी अपीलान्ट गेन्दी बाई की पुत्री एवं उत्तराधिकारी होने से कानूनन खातेदार काश्तकार हो गई है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट का उपरोक्त भूमि पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है वह अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है।

11. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिनपी अपीलान्ट अपने आपको खातेदार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारी है । प्रतिवादी क्रम 1 वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 निरस्त किया जाता है । वादिनी अपीलान्ट का वाद डिक्री किया जाता है । ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 483 की 0. 10 हैक्टर, खसरा नम्बर 484 की 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 503 की 0.10 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 504 की 4.60 हैक्टर कुल 04 किता की 4.87 हैक्टर भूमि का वादिनी अपीलान्ट को खातेदार घोषित किया जाता है राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जाती है । प्रतिवादी क्रम 1 को उक्त भूमि से बेदखल किया जाकर वादिनी को उक्त भूमि पर कब्जा दिलाये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की जाती है तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादिनी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करे अन्य किसी तरह से बाधा उत्पन्न नहीं करे ।

13. निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा